एक नजर में

श्रीराम शौर्य कथा के लिए भूमिपूजन संपन्न

इंदौर . अन्नपूर्णा रोड, दशहरा मैदान स्थित रामायण वाटिका पर 2 से 8 दिसम्बर तक होने वाली श्रीराम शौर्य कथा के लिए शुक्रवार को गरिमापूर्ण समारोह में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जलसंसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर परिषद के सदस्य अभिषेक बबलू शर्मा एवं पार्षद योगेश गेंदर के आतिथ्य में वैदिक मंगलाचरण के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ . भूमि पूजन के साथ ही दशहरा मैदान पर अयोध्या के विश्व विख्यात मानस मर्मज्ञ आचार्य शांतनु महाराज के श्रीमुख से होने वाली श्रीराम शौर्य कथा के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है . भूमि पूजन समारोह में संस्था छवि सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से समाजसेवी गोपाल गोयल, अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन की ओर से किशोर गोयल, संजय बांकड़ा, मनोज धनोतिया, पं . योगेन्द्र महंत, संदीप गोयल ऑटो, दुर्गेश अग्रवाल, नितिन अपेक्स एवं अन्य सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया . कथास्थल दशहरा मैदान को रामायण वाटिका नाम दिया गया है, जहाँ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं संवर्धन के लिए आचार्य शांतनु महाराज प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक श्रीराम शौर्य कथा की संगीतमय अमृतवर्षा करेंगे . महोत्सव में पहली बार श्रीराम शौर्य कथा के साथ गुजरात के प्रख्यात कलाकारों के सहयोग से सवा लाख रुद्राक्ष से 13 फीट ऊँचे शिवलिंग का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका जलाभिषेक कथा के दौरान प्रतिदिन सुबह 7 .30 बजे से कथा के समापन तक आम भक्त कर सकेंगे . महोत्सव का शुभारंभ 2 दिसम्बर को सुबह रणजीत हनुमान मंदिर से सरयू जल कलश यात्रा के साथ होगा।

अल्पसंख्यक आर्थिक विकास पर संगोष्ठी सम्पन्न

इंदौर . दिगम्बर जैन महासमिति द्वारा आयोजित संगोष्ठि में जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र के अध्यक्ष ललित गांधी राज्यमंत्री दर्जा का दिगम्बर जैन महासमिति परिवार द्वारा अभिनन्दन किया गया . समाज श्रेष्ठियों की उपस्थिति में जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास पर विशेष चर्चा की गई . जैन समाज को योग्यता, योगदान अनुरूप राजनीतिक अहमियत प्रदान करना, राजनैतिक पार्टी की आलोचना एवं उनकी कार्यप्रणाली पर आलोचना नहीं करना, नवयुवकों को प्रोत्साहित करना, प्राचीन मंदिरों को संरचनात्मक संरक्षण, संवर्धन करना, दस्तावेज व अभिलेखों को डिजिटलिकरण, ऐतिहासिक तीर्थो का स्वरूप, स्वच्छ तीर्थ अभियान प्रारंभ करना . इस अवसर पर महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकजी बड़जात्या, कैलाशजी वेद, सुरेन्द्र जैन बाकलीवाल, प्रकाशजी भटवेरा, राजेश जैन, प्रवीण पाटनी,पवनजी जैन, नमिष जैन, वीरेन्द्र बड़जात्या, महावीर बैनाड़ा, प्रमोद पापड़ीवाल, मनोज बाकलीवाल, अनिल गंगवाल, सौरभ भंडारी, अशोकजी कोठारी, मुकेश गोधा, पुष्पेन्द्र वेद, जिनेन्द्र सेठी, मोहित जैन, सुशील गोधा, मुकेश दोशी, अशोक जैन, आदि सभी ने अपने विचार व्यक्त किये . संगोष्ठी का सशक्त संचालन जैनेश झाँझरी ने किया . आभार वीरेन्द्र बड़जात्या ने माना .

महालक्ष्मी यज्ञ की शुरूआत अन्नपूर्णा शोभायात्रा से

इंदौर . महंत मंगलदास महाराज खाकी के मार्गदर्शन में 5 दिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ की शुरुआत हुई . कार्यक्रम नावघाट, बड़वाह स्थित श्री मारुति पंचमुखी हनुमान मन्दिर पर हो रहा है . प्रवीण जोशी ने बताया कि उत्सव की शुरुआत् अन्नपूर्णा शोभा यात्रा से हुई . शोभा यात्रा ढोल धमाके के साथ निकली जिसमें संत -महंत भी शामिल हुए . पाँच कुंडीय यज्ञ वेदी बनाई गई है . वेद मंत्रो द्वारा रोजाना 5 हजार आहुतियां दी जायेगी . यज्ञ रोजाना सुबह 8 से 11 एवं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा . मुख्य अतिथि खंडवा के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला होंगे . 25 नवम्बर को श्रीराम विवाह पंचमी पर उत्सव का समापन प्रसादी के साथ होगा . पूरे आयोजन में हरि ओमानन्दजी, पं . अमित गौड़, महंत अवधदास खाकी विशेष रूप से साथ होंगे .

नशा छोड़ चुके योद्धाओं का सम्मान कल

इंदौर, . प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के मेडिकल प्रभाग के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 23 नवंबर न्यू पलासिया स्थित ज्ञानशिखर ओमशांति भवन में प्रात: 10 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें उन विजयी योद्धाओं का सम्मान होगा जो कई प्रकार के नशे से ग्रसित थे परंतु अब ब्रह्माकुमारीज के संपर्क में आने के बाद राजयोग मेडिटेशन द्वारा नशा मुक्त होकर वर्तमान में आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं . कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, माउंट आबू से ब्रह्माकुमारीज के मेडिकल विंग के सचिव डॉ . बनारसी लाल शाह तथा एम .जी .एम . मेडिकल कॉलेज, इंदौर के डीन डॉ . अरविंद घनघोरिया शामिल होंगे . उक्त जानकारी देते हुए इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत इंदौर जोन में सेवाओं के लिए बनाए गए वाहन नशा मुक्ति रथ का उद्घाटन होगा एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा नशा मुक्ति विषय पर चर्चा होगी . कार्यक्रम में इंदौर तथा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अनेक शहरों से ब्रह्माकुमारी संस्थान से जुड़े हुए विजयी योद्धायें भाग लेंगे .

जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकार पर चर्चा

इंदौर . जीतो इंदौर चैप्टर द्वारा अटरिया रेस्टोरेंट, अभय प्रशाल में जैन माइनॉरिटी पर आधारित एक वार्ता आयोजित . राजेश जैन युवा ने बताया कि मुख्यत: ललित एस गांधी मिनिस्टर आफ़ स्टेट, महाराष्ट्र सरकार चेयरमैन जैन माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंसियल कारपोरेशन, कमलेश सोजतिया वाईस प्रेसिडेंट जीतो अपैक्स, जीतो अपैक्स माइनॉरिटी के सेक्रेटरी विक्रम श्रीमाल, जीतो इंदौर के चेयरमैन विमल सिंह घोड़ावत, जीतो चैप्टर के वाईस चेयरमैन, बोर्ड एवं मैनेजिंग कमेटी के सदस्य, जैन समाज के सदस्य उपस्थित रहे . मीटिंग में जैन माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र पर श्री ललित जी से चर्चा की गई . केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया . जैन समाज के सदस्यों को इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा . चीफ सेक्रेटरी हितेश तुरखिया ने आभार माना .

सड़कों पर 'नशे का ट्रैफिक', 20 हजार शराबी ड्राइवरों से वसूले 20 करोड़

यातायात पुलिस का ब्रेथ एनालाइजर हुआ सुपरहिट

नहीं थम रही नशे में ड्राइविंग की रफ्तार, रातें बनीं ड्रिंक एंड ड्राइव

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर की सड़कें इन दिनों ट्रैफिक से ज़्यादा टेस्टर मशीनों की गवाह बन रही हैं. बीते एक साल में यातायात पुलिस ने ऐसे ड्राइवरों पर शिकंजा कसते-कसते आंकड़ा वहाँ पहुँचा दिया है, जहाँ रिपोर्ट पढ़कर समझ आता है कि इंदौर में शराब पिए बगैर कुछ लोग शायद ब्रेक भी नहीं दबाते. जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 20 हजार से ज़्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव पकड़े गए, और इनसे 20 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है.

यह संख्या उतनी ही चौंकाने वाली है जितना यह तथ्य कि शहर की सड़कें रात के समय शराबियों के लिए मानो रनिंग ट्रैक बन गई थीं. जब तक ट्रैफिक पुलिस ने बीच में खड़े होकर उन्हें याद नहीं दिलाया कि कानून भी कोई चीज़ है. आंकड़े बताते हैं कि हर महीने औसतन 1800 से ज्यादा लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े गए, यानी रोज़ाना लगभग 60 चालक- मानो सड़कें नहीं, हैप्पी आवर हाईवे हों.

सड़क हादसों में कमी आई

यातायात विभाग का दावा है कि इस कार्रवाई से सड़क हादसों में कमी आई है, पर शहर में एक सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या हम सुधरेंगे या जुर्माने की रकम ही नया रिकॉर्ड बनाती रहेगी?

जुर्माने की राशि भी किसी छोटी-मोटी फाइल का आंकड़ा नहीं. 20 करोड़ पार कर चुका यह कलेक्शन बताता है कि नियम तोड़े बिना शहर के कुछ लोग शायद त्योहार जैसा एहसास ही नहीं लेते.

जारी रहेगा अभियान...

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस बरकरार रहेगा. चेकिंग प्वाइंट्स बढ़ाए गए हैं, अल्कोमीटर की संख्या भी, रात का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पुलिस की नजर न हो. कई ऐसे ड्राइवर भी मिले जो खुद को नॉर्मल बताते हुए हकलाते शब्दों में ये समझाने की कोशिश करते रहे कि सिर बस दो पेग ही तो, लेकिन मशीन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है.

बच्चों ने नृत्यकला से दर्शकों का मन मोहा

महू. 45 वें बाल महोत्सव के अंतर्गत छटवें दिन माध्यमिक स्तर की एकल नृत्य स्पर्धा देवी अहिल्या बाई होल्कर छावनी परिषद उमा विद्यालय में आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. आकांक्षा रितेश, श्रीमती रूचि सोडानी व श्रीमती अनीता खंडेलवाल के आतिथ्य एवं राधेश्याम बियाणी की अध्यक्षता में हुआ. इस अवसर पर प्राचार्य विशाल श्रीवास भी मंचासीन थे. प्रतियोगिता के निर्णायक का दायित्व श्रीमती अंशिका गर्ग, श्रीमती नेहा मेठी एवं श्रीमती आयुषि अग्रवाल ने निभाया.

तीन घंटे चली इस प्रतियोगिता में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां दीं, जिसमें 26 स्कूलों के बच्चों ने नृत्यकला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया. संचालन श्रीमती मनीषा डेनियल व विनीता नायडू ने किया. आभार प्राचार्य विशाल श्रीवास ने माना. कार्यक्रम का समन्वय सुरेश खंडेलवाल, कमलेश मिश्रा, विजय कुमार विजयवर्गीय, उमेश खंडेलवाल, शाकीर खान, दिनेश जादम, एवं श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल, श्रीमती करूणा लोहारिया ने किया.

ड्राइवर-हेल्पर ही निकले लूट के मास्टरमाइंड

- मानपुर पुलिस ने 24 घंटे में किया मामले का खुलासा
- चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो फरार

नव भारत न्यूज

इंदौर. दूध व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए लूटने की साजिश उसी के ड्राइवर और हेल्पर ने रची थी. मानपुर पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार दिया. वारदात की योजना, सूचना और पूरा सेट-अप अंदर से ही कराया गया. थाना प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर ने बताया कि ग्राम खेडीसिहोद के दूध व्यापारी कमल सिंह रघुवंशी के साथ 19 नवंबर की रात हुई लूट का पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश किया. व्यापारी ड्राइवर आवेश खान और हेल्पर समीर शाह के साथ इंदौर से कलेक्शन लेकर लौट रहा था, तभी पच्चीसा खेत मोड़, चैनपुरा-खेडी सिहोद रोड पर चार लोगों ने दूध वाहन पिकअप को रोक लिया. आरोपियों ने चाकू से हमला कर करीब 2 लाख ,वाहन की चाबी लूट ली. ग्रामीण एसपी और एएसपी के निर्देश पर मानपुर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर जांच शुरू की.

दो आरोपियों को रिमांड पर लिया

मानपुर पुलिस ने आरोपी विनय डावर और संजय चंदेल को गिरफ्तार किया, जबकि षड्यंत्र में शामिल ड्राइवर आवेश खान और हेल्पर समीर शाह को भी हिरासत में ले लिया . आवेश और समीर को न्यायिक हिरासत भेज दिया है . जबकि विनय और संजय का पुलिस रिमांड लेकर नगदी, बाइक, चाकू और पीकअप चाबी की बरामदगी की कार्रवाई की जा रही है, दो आरोपी भुरा और रामलाल अब भी फरार हैं .

पहले से दर्ज हैं प्रकरण

23 वर्षीय आवेश पिता हारून खान, 19 वर्षीय समीर पिता अमीर शाह उर्फ गुड्डू शाह, 18 वर्षीय विनय पिता जितेन्द्र डावर, 20 वर्षीय संजय पिता राजन उर्फ राजेन्द्र चंदेल, विनय डावर और फरार आरोपी भूरा व रामलाल के खिलाफ बडगोंदा थाना क्षेत्र में पहले भी दो लूट प्रकरण दर्ज हैं, जबकि संजय चंदेल पर मानपुर थाने में चोरी के प्रयास और मारपीट के मामले दर्ज हैं .

पूछताछ के दौरान ड्राइवर व हेल्पर की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं और अंतत: दोनों ने वारदात की साजिश कबूल कर ली. उन्होंने अपने साथियों विनय डावर, संजय चंदेल, भुरा उर्फ भरत चौहान और रामलाल उर्फ राजू भाभर को व्यापारी की हर गतिविधि की जानकारी देकर वारदात को अंजाम दिलवाया.

छत्रीपुरा पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर

12 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद

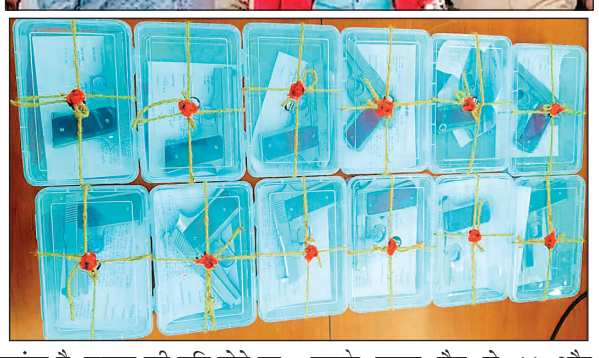

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में अवैध हथियारों की सप्लाई रोकने अभियान के तहत छत्रीपुरा पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को पकड़ लिया, जिसके पास से 12 पिस्टल और दो जिंदा कारतूस का बड़ा जखीरा मिला है. पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और शहर में हथियार खपाने की फिराक में था.

अपराध गतिविधियों में अवैध फायर आर्म्स की बढ़ती भूमिका को देखते हुए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा शहरभर में विशेष निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन्हीं निर्देशों के तहत जोन-4 के पुलिस उपायुक्त आनंद कलादगी और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दिशेष अग्रवाल के मार्गदर्शन में एसीपी सराफा हेमंत चौहान के नेतृत्व में छत्रीपुरा पुलिस ने मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल की. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिशेष अग्रवाल ने बताया कि 20 नवंबर की शाम थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि एक युवक इलाके में अवैध हथियारों की डिलीवरी करने पहुंचा है. सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की. इस दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा,

जिसे पीछा कर दबोच लिया. तलाशी में युवक की कमर से एक पिस्टल और उसमें लोड दो जिंदा कारतूस मिले. इसके अलावा उसके सफर बैग से 11 और पिस्टल बरामद हुईं. जब्त हथियारों की कीमत करीब 7 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई है. आरोपी की पहचान 22 वर्षीय दीपक शर्मा निवासी ग्राम मुंडा खेड़ा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) के रूप में हुई.

विभिन्न शहरों में करता है सप्लाय

प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह प्रदेश के विभिन्न शहरों में पिस्टल सप्लाई करता है और इंदौर में भी किसी ग्राहक को हथियार पहुंचाने आया था. थाना छत्रीपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी से यह पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है कि हथियार किस स्रोत से लाए गए और इंदौर में इन्हें किसे सौंपा जाना था. पुलिस उसके नेटवर्क और संभावित सप्लायर्स की भी जांच कर रही है. चेकिंग अभियान के दौरान मिली इस सफलता को पुलिस हथियारों की तस्करी पर निर्णायक प्रहार मान कर आरोपी से पूछताछ कर रही है.

सिद्दीकी परिवार को मिली अंतरिम राहत

इंदौर/महू. फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद के बाद चर्चाओं में आए सिद्दीकी परिवार के महू स्थित पैतृक मकान को लेकर जारी कानूनी मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई.

मामला उस नोटिस से जुड़ा है, जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड ने कथित अवैध निर्माण हटाने के आधार पर जारी किया था. इस नोटिस को मकान में रह रहे अब्दुल मजीद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय बागड़िया ने तर्क दिया कि मकान के मूल स्वामी हम्माद अहमद का निधन हो चुका है और उन्होंने अपने जीवनकाल में ही एक विधिवत गिफ्ट डीड के माध्यम से यह संपत्ति अब्दुल मजीद के नाम कर दी थी. ऐसे में, मजीद ही इस संपत्ति के वर्तमान वैध स्वामी हैं.

अधिवक्ता के अनुसार, इस स्थिति में कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी नोटिस कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि नोटिस में न तो अवैध निर्माण की सीमा स्पष्ट की गई और न ही यह बताया गया कि किस हिस्से को अतिक्रमण माना गया है . अधिवक्ता बागड़िया ने यह भी बताया कि वर्ष 1996 और 1997 में भी इसी प्रकार के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई . ऐसे में अचानक तीन दिनों के भीतर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करना अनुचित है . उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2025 में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी ध्वस्तीकरण या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पूर्व न्यूनतम 15 दिन की नोटिस अवधि देना अनिवार्य है .

एक नजर में

बास्केटबाल उपाश्रय पर साधु-साध्वी-भगवंतों की मौजूदगी में आयोजन

श्रावक-श्राविकाओं ने की 48 मिनट की मौन साधना

इंदौर. हैदराबाद - सिकंदराबाद के 21 वर्षीय युवा आर्किटेक्ट कौशिक कुमार खांटेड के सन्यास जीवन की धन्यता और सार्थकता के पवित्र संकल्प के साथ शुक्रवार को सुबह सैकड़ों श्रावक-श्राविकाओं ने रेसकोर्स रोड स्थित बास्केटबाल स्टेडियम पर साधु-साध्वी-भगवंतों की निश्रा में 48 मिनिट तक अपने संसारी जीवन से दूर रहकर मौन साधना एवं प्रार्थना की.

जैनाचार्य विजय पद्मभूषणरत्न सूरीश्वर, आचार्य देव विजय जिनसुंदर सूरीश्वर एवं आचार्य विजय धर्मबोधि सूरीश्वर सहित 50 से अधिक साधु-साध्वी-भगवंत नवकार परिवार की मेजबानी में आयोजित इस अनूठे अनुष्ठान में पावन निश्रा प्रदान करने हेतु विशेष रूप से उपस्थित थे. कड़ाके की शीतलहर के बावजूद सभी आयु वर्ग के करीब 500 साधक इस समूह सामायिक में शामिल हुए.

दीक्षा महोत्सव के तृतीय सौपान पर शुक्रवार को दोपहर में श्वेताम्बर जैन महिलाओं की महाचौबीसी (सांझी) का आयोजन भी संपन्न हुआ, जिसमें 300 से अधिक महिलाओं ने शामिल होकर मुमुक्षु के सार्थक सन्यास जीवन के लिए महंदी एवं अन्य क्रियाओं से मंगल भाव व्यक्त किए। संध्या को मुमुक्षु की रजवाड़ी शोभायात्रा भी निकाली गई। सन्यास और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के पूर्व मुमुक्षु कौशिक कुमार का उत्साहवर्धन करने और अपने स्नेहीजनों से शुभाशीष प्राप्त करने का यह भावपूर्ण प्रसंग था।

क्या है सामायिकी...

व्यक्ति पूरी तरह से संसारी जीवन की सभी गतिविधियों से स्वयं को मुक्त रखते हैं और मोबाइल, टीवी एवं अन्य सभी तरह की दिनचर्या से दूर रहकर मन ही मन परमात्मा से अपनी प्रार्थना करते हैं. डॉ. प्रकाश बांगानी, यशवंत जैन, कीर्ति भाई डोसी, विकास गांधी, निमेश भाई शाह विनोद जैन, रितेश जारोली, सोमिल कोठारी, मनीष शाह सहित समाज बंधुओं ने इस अनुष्ठान में भागीदारी दर्ज की.

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी-54 और सी-55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है . अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है . मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है :-

क्र.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	ऋण राशि	डिमांड नोटिस की तिथिएवं बकाया राशि	संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता नं. : HL24UJJ000117595** **1. श्रीमान/श्रीमती संदीप रघुवंशी** **2. श्रीमान/श्रीमती योगिता रघुंवशी** **पता-** महावीर नगर वरको सिटी नागदा, जिला उज्जैन, नियर टेम्पल, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456335 . **इसके अलावा-** वार्ड नंबर 24, उज्जैन-नागदा रोड के किनारे, मोहल्ला वरको सिटी के पास, पाड़ल्याकलां, नागदा, कॉलोनी गार्डन के पास, भूमि का हिस्सा क्र .सं . 1432/मिन -9, 1432/मिन -10, 1432/मिन-11, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456331.	रु. 21,00,000/-	12.11.2025 रु . 21,95,906/- (रु . इक्कीस लाख पिंच्यानवे हज़ार नौ सौ छ: मात्र) 12.11.2025 तक	भूमि का भाग क्र . 1432/मिन-9, 1432/मिन-10, 1432/मिन-11/ वार्ड क्र . 24, उज्जैन-नागदा रोड के किनारे, मोहल्ला वरको सिटी के पास पाडल्याकलां नागदा उज्जैन - 456331 मध्य प्रदेश . पता- दस्तावेज़ के अनुसार- सर्वेक्षण संख्या 1432/मिन 9, 1432/मिन 10, 1432/मिन 11 वार्ड संख्या 24, मोहल्ला वरको सिटी, ग्राम पाडल्याकलां, तहसील नागदा - 456335, 1432, उज्जैन, मध्य प्रदेश . लैंडमार्क- कॉलोनी के पास गार्डन, निकटतम चोला शाखा-रतलाम शाखा से दूरी निकटतम चोला शाखा- 53, सीमाएँ- दिशाएँ- योजना/विलेख/लेआउट के अनुसार- पूर्व- विश्वकर्मा पांचाल की भूमि, पश्चिम- रोड, दक्षिण- हिमांशु जी का मकान, उत्तर- जायसवाल की भूमि, वास्तविक स्थल के अनुसार, पूर्व- विश्वकर्मा पांचाल समाज की खुली भूमि,पश्चिम- रोड, दक्षिण- हिमांशु जी का मकान, उत्तर- खुला प्लॉट .

उधारकर्ताओं को एतद् द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान प्राप्ति की तिथि तक करें . उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है . यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है . सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है . सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है . यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है . उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13 (13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है . उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है . मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं .

स्थान : उज्जैन, मध्यप्रदेश — **हस्ता ./- प्राधिकृत अधिकारी**

दिनांक :- 12-11-2025 — **चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**